



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-1826
दिनांक- 04.10.2026

जोन- उत्तरी/ थाना-रहीमाबाद

■ थाना रहीमाबाद पुलिस टीम द्वारा मारपीट के अभियोग में 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

01- संक्षिप्त विवरण एवं पुलिस कार्यवाही-

दिनांक 18.07.2026 को वादी श्री स्वयं सिंह द्वारा थाना रहीमाबाद पर प्रार्थना पत्र देकर विपक्षीगण द्वारा एकराय होकर लाठी-डण्डों से लैस होकर वादी के भाई एवं अन्य साथियों के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने के सम्बन्ध में सूचना दी गयी थी। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना रहीमाबाद पर मु0अ0सं0 110/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352 बीएनएस बनाम घनश्याम आदि कुल 08 नामजद एवं करीब 10 व्यक्ति नाम-पता अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

विवेचना के क्रम में दिनांक 03.10.2026 को निरीक्षक दिनेश कुमार सिंह मय पुलिस टीम ससपन चौराहे पर मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त घनश्याम अपने घर पर मौजूद है, जिसे शीघ्रता की जाये तो गिरफ्तार किया जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम द्वारा तत्काल अभियुक्त के घर ग्राम गोपालपुर पहुंचकर दबिश दी गयी तथा अभियुक्त घनश्याम यादव पुत्र हीरालाल यादव उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम गोपालपुर थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ को गिरफ्तार किया गया।

वेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त के मजरूब अनिल यादव के मेडिकल परीक्षण/चिकित्सकीय अभिलेखों के अवलोकन से अभियुक्त द्वारा कारित चोट के कारण उसकी आंख की रोशनी स्थायी रूप से जाने की पुष्टि होने पर अभियोग में धारा 118(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त को उसके द्वारा कारित अपराध एवं धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352/118(2) बीएनएस से अवगत कराते हुए दिनांक 03.10.2026 को नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग द्वारा निर्गत आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना नियमानुसार उसके परिजनों को दी गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-घनश्याम यादव पुत्र हीरालाल यादव, उम्र करीब 45 वर्ष, निवासी ग्राम गोपालपुर, थाना रहीमाबाद, लखनऊ।

03- आपराधिक इतिहास-

01-मु0अ0सं0 132/2024 धारा 115(2)/351(2)/352 बीएनएस व 3(1)द,ध, 3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट, थाना रहीमाबाद, लखनऊ।

01-मु0अ0सं0 110/2026 धारा 115(2)/190/191(2)/191(3)/352/118(2) बीएनएस, थाना रहीमाबाद, लखनऊ।

04- गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01-निरीक्षक दिनेश कुमार सिंह, थाना रहीमाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।

02-उ0नि0 रामसेवक राणा, थाना रहीमाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।

03-उ0नि0 संध्या पटेल, थाना रहीमाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।

04-आरक्षी सोबित सिंह, थाना रहीमाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।

05-आरक्षी पवन कुमार, थाना रहीमाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-1825

दिनांक-04.10.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-पीजीआई

थाना पीजीआई पुलिस टीम द्वारा डेन्टल हॉस्पिटल के प्लम्बर द्वारा नाबालिग के साथ मारपीट करना, जिससे उसकी मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

01-कार्यवाही :-

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री तरुण गाबा व संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी श्री मो0 मुश्ताक के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वंसथ कुमार के कुशल पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईंज श्री ऋषभ यादव के कुशल मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक थाना पीजीआई श्री सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा डेन्टल हॉस्पिटल के प्लम्बर द्वारा नाबालिग के साथ मारपीट करना, जिससे उसकी मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

02-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 01.10.2026 को वादिनी सावित्री पत्नी रामराज निवासी ग्राम कोर मऊ राजापुर थाना नसिरावाद जनपद रायबरेली वर्तमान पता उत्तरेठिया थाना पीजीआई के द्वारा लिखित तहरीर दी गयी, जिसमें वादिनी के बेटे उम्र 15 साल को डेन्टल हॉस्पिटल में चोरी के आरोप में मारा पीटा कर मृत्यु कारित करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 497/2026 धारा 105 बीएनएस थाना पीजीआई पंजीकृत किया गया ।

अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के निर्देशन में 03 पुलिस टीमों का गठन किया गया । गठित पुलिस टीम द्वारा करीब 25 सीसीटीवी फुटेज, अन्य टैक्निकल एवं मैनुअल साक्ष्यों तथा स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से अभियुक्त सुभाष चन्द्र को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

03-पूछताछ विवरण एवं माइयूस आपरेंडी:-

अभियुक्त सुभाष चन्द्र से पूछताछ करने पर उसने बताया कि साहब, मैं वर्ष 2008 से डेन्टल हॉस्पिटल में प्लम्बर का कार्य करता हूँ। दिनांक 30.09.2026 को एक युवक जो एसी से कॉपर का पाइप काट कर चुरा रहा था कि हम लोगों ने उसे देख लिया और गुस्से में हम लोगों ने उसके साथ मारपीट की। साहब, मुझसे गलती हो गयी, मुझे माफ कर दीजिए ।

04-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

- सुभाष चन्द्र पुत्र स्व0 बाल कृष्ण नि0 ग्रा0 दोस्तपुर पोस्ट दोस्तपुर थाना बछरांवा जनपद रायबरेली उम्र 37 वर्ष ।

06-अनावरित अभियोग:-

- मु0अ0सं0 497/2026 धारा 105 बीएनएस थाना पीजीआई लखनऊ।

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- कोतवाली पीजीआई पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-1822

दिनांक- 04.10.2026

जोन-मध्य / थाना-हसनगंज

- थाना हसनगंज पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

01-संक्षिप्त विवरण-

थाना स्थानीय पर दिनांक 14.09.2026 को मा0 न्यायालय जे0एम तृतीय महोदय लखनऊ द्वारा निर्गत NBW वारण्ट वाद सं0-35453/2020 अपराध सं0 106/2019 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना हसनगंज लखनऊ से सम्बन्धित NBW वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

02-कार्यवाही का विवरण-

दिनांक 04.10.2026 को उ0नि0 श्री निसार अहमद द्वारा मा0 न्यायालय जे0एम तृतीय महोदय लखनऊ द्वारा निर्गत NBW वारण्ट वाद सं0- 35453/2020 अपराध सं0 106/2019 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना हसनगंज लखनऊ सम्बन्धित NBW वारण्टी अभियुक्त की तलाश पतारसी सुरागरसी हेतु दिये गये पते पर रवाना थे। अभियुक्त के दिये गये पते पर जाकर दबिश दी गई तो वारण्टी अभियुक्त विनोद कुमार अवस्थी पुत्र रामचन्द्र प्रसाद निवासी शिव पार्क के पीछे थाना मदेयगंज लखनऊ उम्र करीब 45 वर्ष घर के बाहर मौजूद मिला मा0 न्यायालय के आदेश से अवगत कराकर दिनांक 04.10.2026 को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। NBW वारण्टी को गिरफ्तार कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. विनोद कुमार अवस्थी पुत्र रामचन्द्र प्रसाद निवासी शिव पार्क के पीछे थाना मदेयगंज लखनऊ उम्र करीब 45 वर्ष

04-संबन्धित वाद का विवरण-

1. वाद सं0- 35453/2020 अपराध सं0 106/2019 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना हसनगंज लखनऊ

नोट- अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में अन्य थाना/इकाई/जनपदों से जानकारी की जा रही है।

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री निसार अहमद थाना हसनगंज लखनऊ ।
2. उ0नि0 श्री धीरज कुमार थाना हसनगंज लखनऊ
3. उ0नि0 श्री विनय कुमार थाना हसनगंज लखनऊ



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-1823

दिनांक-04.10.2026

जोन- पूर्वी / थाना-गाजीपुर

- थाना गाजीपुर पुलिस द्वारा रेस्टोरेन्ट में घुसकर मारपीट एवं लूट की घटना कारित करने वाले 02 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।
- अभियुक्तों के कब्जे से लूट की रकम में से ₹7,500/- नकद बरामद।
- घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं लूटे गये मोबाइल फोन व डीवीआर की बरामदगी हेतु प्रयास जारी।

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.10.2026 को आवेदक श्री श्याम जी सिंह पुत्र श्री राजेश सिंह निवासी ग्राम महिपत सिंह पुरवा पोस्ट चन्दवतपुर थाना कोतवाली देहात गोण्डा हालपता 2/3 कैलाशकुन्ज इन्दिरानगर थाना गाजीपुर लखनऊ के प्रार्थना पत्र बावत अभि०गण द्वारा वादी के रेस्टोरेन्ट में घुसकर वादी व वादी के ड्राइवर के साथ गाली-गलौज मारपीट करने एवं वादी के ड्राइवर के सर में लोहे की राड से मारने व वादी का दो मोबाइल फोन, स्कार्पियो वाहन की चाभी व 17000 रुपये लूट कर ले जाने के आधार पर मु०अ०सं० 349/2026 धारा 309(6)/324(2)/333/352 BNS बनाम शादाब गाजी आदि 03 नफर व अन्य लोग अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कर अभि०गण की तलाश प्रारम्भ की गयी।

आज दिनांक 04.10.2026 को थाना गाजीपुर पुलिस टीम अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तगण की तलाश में क्षेत्र में मामूर थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शादाब गाजी एवं फहीम बन्धा रोड स्थित कल्याण अपार्टमेंट के पास मौजूद हैं। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुँचकर दोनों अभियुक्तों 1. शादाब गाजी पुत्र स्व० मोहम्मद इस्लाम, उम्र 21 वर्ष, मूल निवासी ग्राम उमरिया, थाना इंटौंजा, लखनऊ, हाल पता 21/1180 इन्दिरानगर, थाना गाजीपुर, लखनऊ व 2. फहीम पुत्र मोहम्मद यूसुफ, उम्र 23 वर्ष, मूल निवासी नयापुरवा, थाना कुर्सी, जनपद बाराबंकी, हाल पता रजीवनगर कॉलोनी, कल्याणपुर, थाना गुडम्बा, लखनऊ को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से ₹7,500/- नकद बरामद हुए।

बरामद धनराशि के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि उक्त धनराशि घटना में लूटी गई रकम में उनके हिस्से में प्राप्त हुई थी। अभियुक्तगण द्वारा यह भी बताया गया कि घटना में उनके साथ विपिन सिंह एवं बब्लू पण्डित भी शामिल थे तथा लूटे गये मोबाइल फोन एवं डीवीआर को विपिन सिंह अपने साथ ले गया था। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा लूटे गये मोबाइल फोन एवं डीवीआर की बरामदगी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना एवं जनपदों से जानकारी की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्य:-

अवैध रूप से धन अर्जित करना एवं लूटे गये सामान/नकदी को आपस में बाँटकर आर्थिक लाभ प्राप्त करना।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1- शादाब गाजी पुत्र स्व० मोहम्मद इस्लाम मूलपता ग्राम उमरिया थाना इंटौंजा जनपद लखनऊ वर्तमान पता 21/1180 इन्दिरानगर थाना गाजीपुर लखनऊ उम्र 21 वर्ष,
- 2- फहीम पुत्र मोहम्मद यूसुफ मूलपात नयापुरवा थाना कुर्सी जनपद बाराबांकी हालपता रजीवनगर कालोनी कल्याणपुर निकट न्यू पब्लिक स्कूल पानी की टंकी थाना गुडम्बा उम्र 23 वर्ष

04-आपराधिक इतिहास अभि० शादाब गाजी

- मु०अ०सं० 349/2026 धारा 309(6)/333/324(2)/352 बी.एन.एस थाना गाजीपुर लखनऊ (अनावरित अभियोग)
- मु०अ०सं० 255/21 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना इन्दिरानगर लखनऊ
- मु०अ०सं० 163/26 धारा 115(2), 191(2), 324(4), 351(2), 352, 61(2) बीएनएस थाना इन्दिरानगर लखनऊ
- मु०अ०सं० 87/24 धारा 9/25 आयुध अधि० व 323, 504, 506 भादवि थाना गाजीपुर लखनऊ
- मु०अ०सं० 87/24 धारा 109(1), 190, 191(2), 191(3), 3(5), 324(1), 351(2), 61(2) बीएनएस , 3/25 आयुध अधि० व 7 सी०एल०ए० एक्ट थाना गाजीपुर लखनऊ

05-आपराधिक इतिहास अभि० फहीम

- मु०अ०सं० 349/2026 धारा 309(6)/333/324(2)/352 बी.एन.एस थाना गाजीपुर लखनऊ (अनावरित अभियोग)
- मु०अ०सं० 143/25 धारा 115(2), 191(2), 351(2), 352 बीएनएस व 3(1)(घ), 3(1)(द), 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट थाना जानकीपुरम, लखनऊ
- मु०अ०सं० 378/24 धारा 115(2), 191(2), 351(2), 352 बीएनएस थाना गुडम्बा लखनऊ
- मु०अ०सं० 363/26 धारा 115(2), 351(3), 352 बीएनएस थाना गुडम्बा लखनऊ

06-बरामदगी:-

➤ 7500 रुपये नकद

07- अभियुक्त की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

- उ०नि० श्री नवनीत कुमार
- उ०नि० श्री सूरज कान्त पाण्डेय
- का० अंकित मिश्रा
- का० यतेन्द्र कुमार



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-1824

दिनांक-04.10.2026

जोन-उत्तरी/थाना- अलीगंज

- थाना अलीगंज पुलिस द्वारा हत्या के सनसनीखेज मामले का त्वरित अनावरण, आला-कत्ल कैची व खून से सने कपड़ों के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

01- अपराध का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.10.2026 को समय करीब 17:51 बजे टीपी लाइन कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि पुरनिया पुल के नीचे एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक थाना अलीगंज श्री ध्रुव कुमार मय पुलिस बल के तत्काल मौके पर पहुंचे, जहां अभिषेक कुमार अवस्थी उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी सीतापुर, पुरनिया पुल के नीचे खून से लथपथ अवस्था में मिले। घायल को तत्काल उपचार हेतु के0जी0एम0यू0 भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

उक्त घटना के संबंध में थाना अलीगंज पर मु0अ0सं0 193/2026 धारा 103(1) बी0एन0एस0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। घटनास्थल का निरीक्षण कर फील्ड यूनिट को बुलाया गया तथा घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य, रक्त के नमूने/स्वाब आदि संकलित किए गए। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुर्गी फार्म चौराहे के पास से अभियुक्त प्रदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया।

02- पूछताछ एवं अपराध करने का तरीका-

गिरफ्तार अभियुक्त प्रदीप सिंह से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि घटना के समय वह तथा अन्य लोग शराब का सेवन किए हुए थे और आपस में बहस कर रहे थे। इसी दौरान अभिषेक कुमार अवस्थी से उसकी कहासुनी एवं हाथापाई हो गई। आवेश में आकर उसने पास में रखी कैची उठाकर अभिषेक कुमार अवस्थी पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया, जिससे वह मौके पर गिर गया। घटना के बाद अभियुक्त द्वारा आला-कत्ल कैची को पुरनिया फ्लाईओवर के नीचे मड़ियांव जाने वाली साइड पर छिपा दिया गया था। अभियुक्त की निशानदेही पर घटनास्थल से करीब 150 कदम की दूरी पर छिपाई गई खून से सनी कैची बरामद की गई। अभियुक्त द्वारा घटना के समय पहने गए ग्रे रंग की टी-शर्ट एवं सफेद पैंट पर भी खून के निशान पाए गए, जिन्हें नियमानुसार कब्जे में लिया गया।

03- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-प्रदीप सिंह पुत्र राजकुमार सिंह, मूल पता- ग्राम इंदारा, थाना महिंगवा, लखनऊ। हाल पता- निकट मुर्गी फार्म चौराहा, थाना मड़ियांव, लखनऊ। उम्र- करीब 42 वर्ष।

04-पंजीकृत/अनावरित अभियोग-

01-मु0अ0सं0 193/2026 धारा 103(1) बी0एन0एस0 थाना अलीगंज लखनऊ

05- बरामदगी का विवरण-

- आला-कत्ल एक अदद खून से सनी कैची, लंबाई करीब एक बालिशत तीन अंगुल, जिसे सील सर्वमोहर किया गया।
- घटनास्थल से फील्ड यूनिट द्वारा संकलित रक्त का स्वाब एवं सादा कॉटन।
- अभियुक्त के शरीर से बरामद घटना के समय पहने हुए खून से सने ग्रे रंग की टी-शर्ट एवं सफेद पैंट।

07- गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री ध्रुव कुमार, प्रभारी निरीक्षक, थाना अलीगंज, लखनऊ।
2. उ0नि0 श्री शुभम तिवारी, थाना अलीगंज, लखनऊ।
3. उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र चौधरी, थाना अलीगंज, लखनऊ।
4. कां0 रोहित कुमार, थाना अलीगंज, लखनऊ।
5. कां0 रजत यादव, थाना अलीगंज, लखनऊ।
6. का0 राजेश वर्मा, थाना अलीगंज, लखनऊ।
7. कां0 मिन्दू कुमार, थाना अलीगंज, लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-1821

दिनांक- 04.10.2026

जोन-पश्चिमी / थाना-चौक

- थाना चौक पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

प्रभारी निरीक्षक चौक लखनऊ के नेतृत्व में चौक पुलिस द्वारा आज दिनांक 04.10.2026 को दो नफर वारंटी अभियुक्तगण 1. विक्रम पुत्र जागेश्वर निवासी रस्तोगी घाट पक्का पुल मरी माता मन्दिर थाना चौक लखनऊ उम्र लगभग 27 वर्ष 2. सन्तोष उर्फ राधे पुत्र जागेश्वर रस्तोगी घाट पक्का पुल मरी माता मन्दिर थाना चौक लखनऊ उम्र लगभग 34 वर्ष को उनके अंकित पते से गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. विक्रम पुत्र जागेश्वर निवासी रस्तोगी घाट पक्का पुल मरी माता मन्दिर थाना चौक लखनऊ उम्र लगभग 27 वर्ष
2. सन्तोष उर्फ राधे पुत्र जागेश्वर रस्तोगी घाट पक्का पुल मरी माता मन्दिर थाना चौक लखनऊ उम्र लगभग 34 वर्ष

संबन्धित वाद का विवरण-

1. मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष सं0 28 लखनऊ द्वारा निर्गत एनबीडब्ल्यू केस नं0 1462/16 अ0सं0 -323/504/506 भादवि थाना चौक लखनऊ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 विवेक सिंह चौकी प्रभारी रूमी गेट थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ
2. उ0नि0 अमित कुमार भारती थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ
3. का0 प्रदीप कुमार थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ